विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा
प्रश्न संख्या तारांकित	:	4774
उत्तर की तिथि	:	3.03.2022
विषय	:	पदोन्नति व सीधी भर्ती नियम
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री सुरेन्द्र शौरी (बन्जार)
सम्बन्धित मन्त्री	:	बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री

प्रश्न		उत्तर
(क)	यह सत्य है कि बिजली विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति व सीधी भर्ती के लिए आरक्षण का प्रावधान है; यदि हां, तो ब्यौरा दें; और	(क) व (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	सरकार वर्तमान में बढ़ते डिग्री धारकों की संख्या के मद्देनज़र विभाग में आरक्षण के नियमों का पुनरावलोकन कर नये आरक्षण नियम तय करने का विचार रखती है; ब्यौरा दें?	

तारांकित प्रश्न संख्या 4774 जो कि श्री सुरेन्द्र शौरी (बन्जार): द्वारा पदोन्नति व सीधी भर्ती नियम बारे पूछा गया है से सम्बन्धित सूचनाः–

(क) जी, हां। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड में कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति व सीधी भर्ती के लिए आरक्षण/कोटा आर0 एण्ड पी0 नियम के अनुसार निम्नलिखित हैः

सीधी भर्ती	पदोन्नति				
36%	64%				
JE by Direct recruitment	JE(Dip) by promotion	JE (AMIE) by promotion	JE (Degree) by promotion	Non Diploma holder by promotion	Drawing cadre by promotion
36%	40%	5%	5%	10%	4%

(ख) वर्तमान में बढती डिग्री धारकों की संख्या के मद्देनज़र आरक्षण के नियमों का पुनरावलोकन कर नये आरक्षण नियम तय करने का प्रदेश सरकार का अभी कोई विचार नहीं है।